# महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

**अस्थाई कार्यालय - एम. एस. जे. कालेज परिसर, भरतपुर -321001**

Ph. & Fax No. 05644-220560, Email- brijuniversitybtp@gmail.com


क्रमांकः— प.3(14)मसूबृवि / अकाद / बीओआई / 2015 / 1190 दिनांक :— 19/7/17

## दिनांक 16.06.2017 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की उपसमिति की बैठक का कार्यवाही—विवरण

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के निरीक्षण मण्डल की उपसमिति की बैठक का आयोजन दिनांक 16.06.2017 को अपराह्न 01:00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए :—

1. डॉ. ए. के. बंसल — सदस्य
2. डॉ. मनरूप सिंह मीना — सदस्य

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

दिनांक 27.04.2017 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण में वर्णित सभी बिन्दुओं का उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

<u>बिन्दु संख्या</u> 1 — सत्र 2017—18 के लिए निम्न 4 नवीन बीएड महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया है। निम्न महाविद्यालयों की अस्थाई सम्बद्धता देने / न देने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(i) श्री दाऊबाबा टी.टी. कॉलेज धौरमुई, भरतपुर (100 सीट—02 यूनिट)
<u>निर्णय —</u> उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता जारी करने पर सहमति जताई गयी।

(ii) महाराजा श्री सूरजमल टी.टी. कॉलेज रहीमपुर, रूपवास, भरतपुर (50 सीट—01 यूनिट)
<u>निर्णय —</u> महाविद्यालय की सम्बद्धता कमी पूर्तियाँ पूरी होने तक रोकी जावें।

(iii) श्रद्धा महिला टी.टी. कॉलेज कामां, भरतपुर (एन.सी.टी.ई. से एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं है।)
<u>निर्णय —</u> महाविद्यालय की सम्बद्धता के क्रम में निरीक्षण दल द्वारा की गयी अनुशंषा **"एनओसी प्राप्ति उपरान्त ही आगे की प्रकिया सम्भव होगी"**। के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

(iv) जगदीश महाविद्यालय, आंगई, सरमथुरा, धौलपुर (100 सीट—02 यूनिट)
<u>निर्णय —</u> उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता जारी करने पर सहमति जताई गयी।

<u>बिन्दु संख्या</u> 2 — सत्र 2017—18 से निम्न 6 महाविद्यालयों ने बी.ए.—बी.एड. / बी.एससी—बी.एड. 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड़ पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु आवेदन किया है।

निम्न महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्धता देने / न देने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(i) महाराज अग्रसेन टी.टी. कॉलेज, नगर (बी.ए.—बी.एड. / बी.एससी—बी.एड., 100 सीट—02 यूनिट)

(ii) संस्कार महाविद्यालय, नदबई (बी.ए.—बी.एड, 100 सीट—02 यूनिट)

(iii) श्री राधेय राघव महाविद्यालय, वैर, भरतपुर (बी.ए.—बी.एड. / बी.एससी—बी.एड., 100 सीट—02 यूनिट)

(iv) श्री रतन सिंह (एसआरएस) बॉयज कॉलेज, कुम्हेर, भरतपुर (बी.ए.—बी.एड. / बी. एससी—बी.एड., 100 सीट—02 यूनिट)

(v) डी.पी.एम. पी.जी. कॉलेज, सरसेना, वैर, भरतपुर (बी.ए.—बी.एड, 100 सीट—02 यूनिट)
<u>निर्णय —</u> क्रम संख्या (i) से (v) तक के महाविद्यालयों के सम्बन्ध में बीओआई की उपसमिति ने विश्वविद्यालय स्तर पर निरीक्षण दल गठित कर निरीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया।

(vi) वर्धमान टी.टी. कॉलेज, मनिया, धौलपुर (बी.ए.—बी.एड. / बी.एससी—बी.एड., 50 सीट—01 यूनिट)
<u>निर्णय —</u> उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता जारी करने पर सहमति जताई गयी।

Manoj

**बिन्दु संख्या** 3 – पूर्व संचालित 36 बी.एड. महाविद्यालयों (भरतपुर में 22 तथा धौलपुर में 14) जिनमें से भरतपुर जिले में निम्न दो बी.एड. महाविद्यालय स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

(i) महाराजा सूरजमल टी.टी. कॉलेज, भरतपुर (120 सीट स्वीकृत हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेश की अनुपालना में 150 सीटें चाही गयी हैं। सीट–अभिवृद्धि शुल्क लिये जाने/न लिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश अपेक्षित हैं।)

**निर्णय** – सीट अभिवृद्धि हेतु आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है अथवा नहीं ? इस आशय की उक्त कॉलेज से लिखित में टिप्पणी ले ली जावे। साथ ही आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर से भी पत्राचार कर इनके द्वारा सीट–अभिवृद्धि हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं की जानकारी कर मामले को अगली बी.ओ.आई. में रखा जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) श्री बजरंग टी.टी. कॉलेज, डीग (100 सीट स्वीकृत हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेश की अनुपालना में 150 सीटें चाही गयी हैं। सीट अभिवृद्धि शुल्क जमा करा दिया गया है।)

के लिए सत्र 2017–18 की स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता /सीट अभिवृद्धि हेतु निरीक्षण दलों के गठन, निरीक्षण महाविद्यालयों में जाकर अथवा विश्वविद्यालय में करवाये जाने के बारे में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

**निर्णय** – आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा की गई सीट अभिवृद्धि निमित्त पर्याप्त भौतिक ढांचे एवं आधारभूत सुविधाओं का एक सामान्य निरीक्षण कराया जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दु संख्या** 4 – माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 30.5.17 तक बी.एड., बी.ए.–बी.एड./बी. एससी–बी.एड. महाविद्यालयों की सूची सीटों की संख्या सहित समन्वयक पीटीईटी 2017 को जानी थी जो इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। उक्त प्रेषित सूची का अनुमोदन प्रस्तावित है।

निर्णय – दिनांक 30.5.17 को प्रेषित सूची विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर का कार्य है जिसे बी.ओ.आई. से अनुमोदन कराना आवश्यक नहीं है।

**बिन्दु संख्या** 5 – हरिदत्त डिग्री कॉलेज, सेवर, भरतपुर को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. 4 वर्षीय इण्टीग्रेटेड पाठ्यकम हेतु 100 सीट (02 यूनिट) की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गयी है। प्रदान की गयी अस्थाई सम्बद्धता का अनुमोदन प्रस्तावित है।

निर्णय – उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता फाईल पर माननीय कुलाधिपति की अनुमति के बाद में ही बी.ओ. आई. से अनुमोदन कराये जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दु संख्या** 6 – दिनांक 25.6.15 को आयोजित बी.ओ.आई. की बैठक के बिन्दु सं0 4 में 170 प्राध्यापकों को निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण कार्य सम्पन्न करने हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त सूची में प्राध्यापकों के नाम जुड़वाने अथवा संशोधन के बारे में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – निरीक्षण कार्य हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए राजकीय महाविद्यालयों से एक सूची प्राप्त कर निरीक्षक लिस्ट को अपडेट किया जाकर बी.ओ.आई. से अनुमोदित कराया जाये जिसमें निम्न श्रेणी के निरीक्षकों को सम्मिलित किया जा सकता है –

- 15 वर्ष या इससे अधिक राजकीय सेवा पूर्ण कर चुके व्याख्याता।
- विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी सत्र में अनुमोदित किये गये बी.एड./एम.एड. महाविद्यालयों के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्राचार्य।
- रिटायर्ड/स्थानीय निवासी प्राचार्य/उपप्राचार्य/व्याख्याता।
- दल में एक निरीक्षक 37400/पे–बैण्ड 4 श्रेणी का हो।
- अन्य दूसरा निरीक्षक 15600/पे–बैण्ड–3 श्रेणी का भी हो सकता है।
- जिस फैकल्टी के महाविद्यालय का निरीक्षण प्रस्तावित हो, उसी फैकल्टी/विषय से सम्बन्धित निरीक्षक हो।
- अनुमोदित सूची में से माननीय कुलपति महोदय द्वारा किसी को भी मनोनीत किया जा सकेगा।

Hemala

- अपरिहार्य कारणों से या अनुमोदित सूची से निरीक्षक अप्राप्त होने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा किसी अन्य को भी मनोनीत किया जा सकेगा, जो कि 15 वर्ष अध्यापन का अनुभव रखता हो या किसी बी.एड/एम.एड. महाविद्यालय का अनुमोदित प्राचार्य हो माननीय कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत निरीक्षक को आगामी बी.ओ.आई. की बैठक में अनुमोदित कराया जावे।
- विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण हेतु एक निरीक्षक 37400 ग्रेड पे की नियुक्ति कर अन्य निरीक्षक की नियुक्ति हेतु उसे ही दायित्व सौंपा जा सकता है कि वह अपने साथ योग्यता/पात्रता के अनुसार अन्य/द्वितीय निरीक्षक नियुक्त करे।

बिन्दु संख्या 7 – विश्वविद्यालय द्वारा निम्न प्रकार से निजी महाविद्यालयों से Corpus Fund/Endowment/FDR महाविद्यालयों से "रजिस्ट्रार महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर तथा सचिव संस्था" के संयुक्त नाम से लिया जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| बी.ए./बीएससी/बीकॉम | – | 5 लाख प्रति पाठ्यक्रम |
| एम.ए/एमएससी/एमकॉम | – | 5 लाख प्रति विषय |
| बीएड/बीबीए/बीसीए/एलएलबी | – | 3 लाख प्रति पाठ्यक्रम |
| एमएड | – | 3.75 लाख |

सत्र 2017–18 से एक नवीन पाठ्यक्रम बीए–बीएड/बीएससी–बीएड 4 वर्षीय इंन्टीग्रेटेड का संचालन कुछ निजी महाविद्यालयों द्वारा शुरू किया जा रहा है। जिसके लिए Corpus Fund/Endowment/FDR की राशि के बारे में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – बी.ओ.आई की मुख्य समिति की बैठक में इस बिन्दु को रखा जाये।

बिन्दु संख्या 8 – सत्र 2017–18 के लिए प्राप्त यूजी/पीजी महाविद्यालयों के अस्थाई/स्थाई सम्बद्धता/विषय अभिवृद्धि/सीट अभिवृद्धि आदि के लिए निरीक्षण कार्य का कार्यक्रम तथा स्थान तय करने के बारे में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – निरीक्षण प्रक्रिया जुलाई माह में प्रारम्भ की जा सकती है तथा निरीक्षण का कार्य महाविद्यालयों में जाकर भौतिक रूप से कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 9 – माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु – महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से अवैध रूप से लिये जा रहे पैसों के सम्बन्ध में की गई शिकायतों के लिए **"त्रिसदस्यीय जांच दल गठित कर जांच कराई जावे इस समिति/दल का संयोजक राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य/उपप्राचार्य स्तर का हो।"**

कुलसचिव